

दो मंजिल / प्रथम तल (भूतल तल) भवन हेतु चैक लिस्ट

क्र०सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जाँच आख्या
1	भवन एक मंजिल है अथवा दो मंजिल ?	01 मंजिल
2	क्या भवन हेतु भूमि की न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हे० है (4000 वर्ग मीटर) ?	नहीं
3	क्या भवन में पार्किंग की समुचित व्यवस्था है ?	हाँ
4	क्या भवन में ओरियन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है ?	हाँ
5	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (एप्रोच रोड) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है ?	नहीं
6	क्या भवन की छत आर०सी०सी० बनी है ?	हाँ
7	कक्षा छत निर्माण में ज्वलनशील समग्री तो प्रयोग में नहीं लायी गयी है ?	नहीं
8	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले की बनी हैं ?	हाँ
9	क्या भवन की दीवारें/छत ठीक है ?	हाँ
10	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठण्डे क्षेत्रों में 3 मी० है) ?	नहीं
11	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउन्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6 मी० ऊँचाई 4.05 मी० है ?	नहीं
12	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श के क्षेत्रफल का न्यूनतम 1 प्रतिशत है। खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं है ?	(1) हाँ (2) नहीं
13	क्या कक्षा के दरवाजे की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1 मी० ऊँचाई 2 मी० है) ?	हाँ
14	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की (1) चौड़ाई न्यूनतम 1500 एम०एम० (2) ट्रेड 300 एम०एम० तथा (3) राइजर 150 एम०एम० है ?	लागू नहीं
15	क्या भवन के कक्षों में जाने की अधिकतम दूरी 22.5 मी० है ?	हाँ
16	क्या भवन के द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है ?	हाँ
17	क्या भवन में उचित स्थान पर अग्निशमन यंत्र लगे हैं ?	हाँ
18	क्या भवन में विद्युत की लो वोल्टेज लाइन की ऊँचाई 2.5 मी० तथा हाईरीजेन्टल दूरी 1.2 मी० है ?	हाँ
19	क्या भवन में विद्युत की हाई वोल्टेज लाइन (11000 वोल्टे या अधिक) की न्यूनतम वर्टिकल ऊँचाई 3.7 मी० एवं हाईरीजेन्टल दूरी 2 मी० है ?	लागू नहीं
20	क्या पुरानी विद्युत वाइरिंग स्विच एवं अन्य इक्विपमेंट आई०एस०आई० मार्क सामग्री से बदले गये हैं ?	हाँ

दिनांक 21.02.2025 को आर०सीटी० मण्टेसरी जूनियर हाईस्कूल जामों जनपद अमेठी विद्यालय का निरीक्षण किया गया। विद्यालय के कक्ष पूर्व से निर्मित हैं। जिसमें विद्यालय का कार्य प्रगति पर है जो कि नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के अनुरूप प्रतीत होता है। विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के मार्ग दर्शन में न किये जाने के कारण भवन के स्ट्रक्चरल सेफ्टी की जिम्मेदारी विद्यालय प्रबन्धक/आर्कीटेक्चर की होगी।

प्रथम दृष्टया प्रमाणित किया जाता है कि भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2016 तथा तत् सम्बन्धित नियमों में उल्लिखित बिन्दुओं के अधीन प्रथम दृष्टया में एन०बी०सी० 2016 मानकों के अनुरूप प्रतीत होता है।

कार्यालय सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड-अमेठी।

पत्रांक ११ / ग्रा०अ०वि० / जाँच / 2024-25 दिनांक 28/02/2025

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- देसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद अमेठी।

2- प्रबन्धक आर०सीटी० मण्टेसरी जूनियर हाईस्कूल जामों जनपद अमेठी

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रखण्ड-अमेठी।